2023/216

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यांयालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री अमृतलाल सोलंकी निवासी 134, मेघवाल वास पेशुआ रोड कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 50 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.10.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 16.08.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दस रूपए का सिक्का चलन में है या नहीं और यदि कोई दुकानदार या कोई व्यक्ति दस रूपए का सिक्का लेने से मना करे तो इसकी शिकायत कहां व किस विभाग में करें। उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 16.08.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दस रूपए का सिक्का चलन में है या नहीं और यदि कोई दुकानदार या कोई व्यक्ति दस रूपए का सिक्का लेने से मना करे तो इसकी शिकायत कहां व किस विभाग में करें, उक्त सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/रेकर्ड/लो.सू.अ./2023/1615 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया था कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक, विवेचनात्मक प्रकृति की है, जिसके लिए सूचना सृजन की आवश्यकता होती है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अनुमत नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक एवं विवेचनात्मक प्रकृति की होने से उक्त सूचना रेस्पोडेन्ट द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबर से कम हो। (डॉ. भंवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner